

मूल वाद में डिग्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

1. राकेश } वि०ओ०मप्रकाश }
2. सुभाष } जाति जाट नि० भरवाना } जाति जाट निवासी भरवाना }
उनवान

दावा बाबत :- 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 158/2021

निर्णय दिनांक :- 04/12/2021

वादी की ओर से वकील संदीप गौड़ार) की व प्रतिवादी सं०.....) की ओर से वकील प्रमुराम गौड़ार) की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04/12/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि चक्र 8 DPN के खाला संख्या 45/44 के सु० न० 35 के किला न० 16/1, 17 ता 24, 25/1, सु० न० 40 के किला न० 1 ता 4, 5/1, 6/1, 7 ता 14, 15/1, 16/1, 17 ता 22 इस प्रकार कुल किला 32 की कुल 7-790 है नहरी प्रतिवादी ओमप्रकाश के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार चक्र 8 DPN के सु० न० 40 के किला न० 23, 24, 25/1, सु० न० 48 के किला न० 5, 6, 15, 16, 25, सु० न० 49 के किला न० 1 ता 4, 5/1, 6/1, 7 ता 14, 15/1, 16/1, 17 ता 24 कुल किला 32 की कुल 7-8410 है बट्टेयर नहरी मय खाला में प्रतिवादी ओमप्रकाश के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादी स० राकेश, वादी संख्या 2 सुभाष व प्रतिवादी ओमप्रकाश की बहिस्सा बराबर के खातेदार वास्तुवाद घोषित किये जाते हैं। यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज हो तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिग्री आज दिनांक 04/12/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़